International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 20-08-2024, Accepted: 19-09-2024, Published: 04-10-2024
Volume 10, Issue 5, 2024, Page No. 18-22

भरतपुर जनपद में महात्मा गांधी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) कार्यो का मूल्यांकनः एक भौगोलिक अध्ययन

डॉ. कोमल सिंह
प्राचार्य, भूगोल विभाग, श्री गुरू माधवानन्द प्रतिभा कॉलेज रूपवास, भरतपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

भारत गाँवों का देश है। इसलिए ग्रामीण विकास राष्ट्रीय विकास की धुरी है। ग्रामीण विकास की इसी बुनियादी (जैसे–बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी) आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने गाँवों में रोजगार उपलब्ध कराने का क्रान्तिकारी कदम महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) के रूप में भारत के तत्कालीन प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 02 फरवरी 2006 को शुभारम्भ किया था। मनरेगा योजना भरतपुर जनपद के सम्पूर्ण विकास खण्डों में संचालित की जा रही है। इस योजना से ग्रामीण लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है। मनरेगा के चलते गाँवों में रोजगार के अवसर बढ़ें हैं, जिससे गाँवों से शहरों की ओर पलायन कम हुआ है। इस योजना के तहत महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत से बढ़कर 48 प्रतिशत हो गयी है। इस योजना के अन्तर्गत भूमि संरक्षण, वृक्षारोपण, सड़क निर्माण, जल संरक्षण, सफाई आदि कार्य किये जा रहे हैं। इससे गांव का सर्वांगीण विकास हो रहा है। इस क्रान्तिकारी कार्याक्रम के सुचारू क्रियान्तवयन में सबसे बड़ी बाधा है–भ्रष्टाचार। हालांकि श्रमिकों के चयन और धन के भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के उपाय किये गये हैं। किन्तु नौकरशाहों और कुछ स्थानों पर पंचायतों के कर्मचारियों के चलते यह कार्यक्रम भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है। मनरेगा कार्यक्रम एक सच्चा राष्ट्रीय अभियान है, जो अपने उद्देश्य स्वरूप और प्रभाव की दृष्टि से अभूतपूर्व है। असल में मनरेगा से एक ओर जहां व्यक्ति व परिवार सशक्त बनता है। वहीं दूसरी ओर गांवों के चहुँमुखी विकास में मदद मिलती है। इस उपयोगी कार्यक्रम के सम्यक क्रियान्वयन में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के ही नहीं ग्रामीण विकास के माध्यम से देश प्रगति की भी गारन्टी निहित है।

मूलशब्दः बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, क्रान्तिकारी, संरक्षण, वृक्षारोपण, भ्रष्टाचार, क्रियान्तवयन, सर्वांगीण विकास

भारत गाँवों का देश है। भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है। जहाँ देश की 72.2 प्रतिशत (2011) अबादी और 21.9 प्रतिशत निर्धनता पायी जाती है। महात्मा गांधी जी ने कहा था जब तक ग्रामों का विकास नहीं होगा तब तक हमारा विकास संभव नहीं है। अतः यदि हमें भारत को उन्नति करना है तो गाँवों की दशा सुधारनी होगी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत सन् 1952 ई. में पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ हुआ। इस समय देश की 12वीं (2012–17) पंचवर्षीय योजना चल रही है। गाँवो के सर्वागीण विकास हेतु 2 अक्टूबर, 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की आधारशिला रखी गयी। धीरे–धीरे पूरे भारत में 6 लाख, 40 हजार, 867 गाँवों में कृषि, सिंचाई, लघु उद्योग, परिवहन स्वास्थ्य शिक्षा आदि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया। भारत सरकार व राज्य सरकार की विभिन्न विकासकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का उद्देश्य ही व्याप्त क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना और अमीरी गरीबी के बीच की खाई को पाटना भी रहा है। इसके साथ ही गाँवों की स्थिति में सुधार करना और वहाँ खुशहाली लाना है।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण गांरटी योजना (नरेगा) फ्लैगशिप प्रोग्राम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया। यह 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (सप्रंग) सरकार के राष्ट्रीय कॉमन न्यूनतम कार्यक्रम का अंग था। भारत में नरेगा तीन चरणों में लागू किया गया, प्रथम चरण 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में प्रारम्भ किया गया। इसका शुभारम्भ आंध्रप्रदेश के अंनतपुर जिले के नरपाला मण्डल की बंदलपल्ली ग्राम पंचायत में किया गया जबकि राजस्थान में यह 6 जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, सिरोही, उदयपुर में लागू किया गया और इस योजना का राजस्थान में सर्वप्रथम शुरूआत माकड़ादेव ग्राम पंचायत झाडौल उदयपुर में की गयी तथा 2007 में 2030 अतिरिक्त जिलों में लागू किया गया जिसमें राजस्थान के 6 अतिरिक्त जिलों टोंक, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, जालौर और जौसलमेर को शामिल किया गया। 1 अप्रैल 2008 को यह योजना देश के 2074 अतिरिक्त जिलों में प्रारम्भ की गयी और अब तक भारत के कुल 6019 जिलों में लागू है। तथा राजस्थान के समस्त जिलों में लागू है। और अब इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) कर दिया है। इस योजना को लागू हुए 10 वर्ष पूरे हो गये हैं और इसकी शुरूआत से अब तक इस पर 313844.55 करोड़ रूपये भारत सरकार खर्च कर चुकी है।

अध्ययन क्षेत्रः भरतपुर राजस्थान राज्य का पूर्वी जिला है। भरतपुर जिला $26^0 22'$ से $27^0 50'$ उत्तरी अक्षांश व $76^0 53'$ से $78^0 17'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इस जिले की सीमा उत्तर में हरियाणा (मेवात जिला) पूर्वी में हरियाणा उ.प्र. (मथुरा और आगरा) तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश (मुरैना जिला) व राज्य का धौलपुर जिला और पश्चिम में करौली व अलवर जिलों से मिलती है। वर्तमान में यह जिला 11 तहसील व 10 उपखण्ड (विकासखण्ड) में बंटा है। भरतपुर का भौगोलिक क्षेत्रफल 5066 वर्ग किमी0 है। जनसंख्या (2011) 2548462 पुरूष 1355726 स्त्री 1192736 अनु0 जाति 557305, अनु0 जनजाति 54090, साक्षारता 70.11 प्रतिशत है।

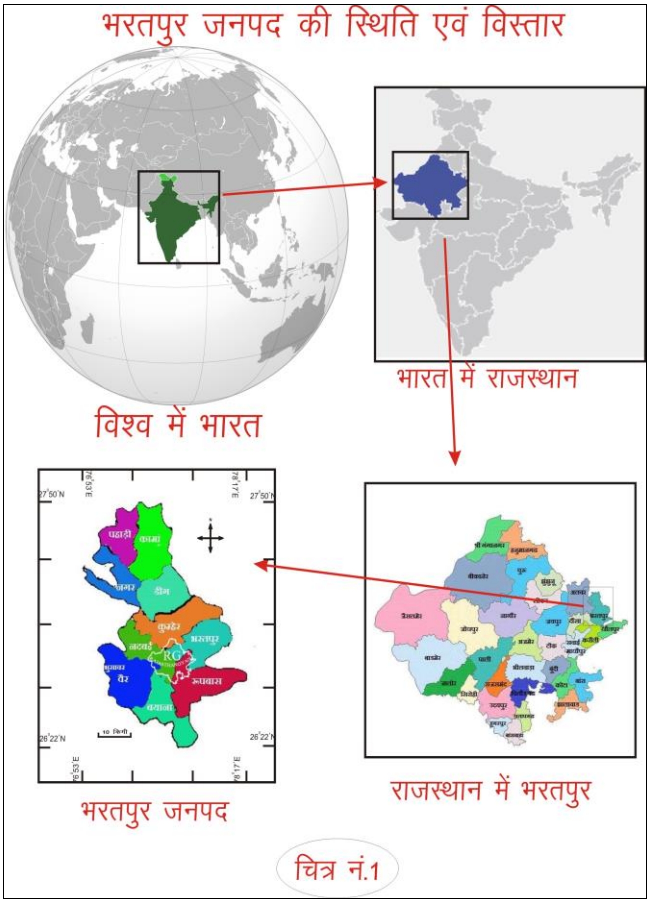

चित्र नं.1

विधि–तन्त्र एवं आँकड़ों के स्रोतः वर्तमान अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। विकास कार्यो का मूल्यांकन व विश्लेषण गाँव स्तर पर किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों का संकलन अनुसूची के माध्यम से किया गया है। प्रत्येक विकासखण्ड से एक–एक ग्राम पंचायत का चयन कर 10–10 नरेगा में कार्यरत मजदूरों से अनुसूची भरवायी गयी कुल 100 अनुसूचियों के आँकड़ों का विश्लेषण इस शोध–पत्र में किया गया है। अनुसूची के माध्यम से शिक्षा का स्तर आयु वर्ग कार्यो में उत्पन्न समस्याओं का विश्लेषण किया गया है और आवश्यक सारणी मानचित्र तथा आलेखों का प्रयोग किया गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना– मनरेगा योजना केन्द्र सरकार ने फरवरी 2006 में प्रारम्भ की थी। यह योजना अस्थाई रूप से न्यूनतम निर्धारित मजदूरी पर अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार किसी भी ग्रामीणों के 100 दिनों का रोजगार की वैधानिक गारण्टी प्रदान करती है। यह एक ऐसा पहला कार्यक्रम है जो पूर्णतः गरीबों मजदूरों के प्रति प्रतिबद्ध है। सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार को कानून के माध्यम से जन–जन तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है। काम माँगने पर 15 दिनों में कार्य की उपलब्धता अन्यथा आवेदक को बेरोजगारी भत्ता देय होगा व 15 दिन में मजदूरी पाने का अधिकार, वरना देरी से भुगतान के लिए मुआवजा सात दिनों में शिकायत का निवारण और निवारण न होने पर शिकायत निवारण अधिकारी पर कार्यवाही। यह गरीबों के अधिकारों के प्रति इतना सजग है कि इसमें जहां सम्भव कार्य आवेदक को 5 किमी के क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाय। दूर होने पर मजदूरी का 10 प्रतिशत आवास भत एवं दैनिक यात्रा भत्ता दिया जाता है। साथ ही साथ 33 प्रतिशत महिलाओं को मजदूरी देना आवश्यक है लेकिन देखने को मिला है लगभग हर वर्ष महिलाओं की इस योजना में भागीदारी 48 प्रतिशत तक रही है। एवं 3 प्रतिशत राशि विकलांगों पर खर्च की जाती हे। वैधानिक न्यूनतम मजदूरी 2006 में 66 रूपये से बढ़ाकर 2011–12 में 115 रूपये एवं वर्ष 2013 में 142 रूपये प्रदान की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने की केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2011–12 के दौरान 19 जनवरी 2012 तक 3.80 करोड़ परिवारों को रोंजगार उपलब्ध कराये गये। कुल मिलाकर 122.37 करोड़ श्रम दिवस रोजगार का सृजन संदर्भित वर्ष में इस योजना के तहत किया गया। जिनमें से 60.45 करोड़ श्रम दिवस महिला, 27.27 करोड़ श्रम दिवस अनुसूचित जाति तथा 20.97 करोड़ श्रम दिवस रोजगार का सृजन अनु0 जाति को किया गया। वर्ष 2013–14 के लिए 33000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2015–16 में राजस्थान राज्य में 4688290 परिवारों ने रोजगार की मांग की थी। जिनमें से 4220873 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। एवं 2427976 परिवार मनरेगा योजना में कार्यरत है। इनको रोजगार उपलब्ध कराने पर 352078.76 लाख में आवंटित किये गये। जिनमें से 326841.76 लाख का व्यय किये गये।

मनरेगा का उद्देश्यः मनरेगा विश्व का सबसे बृहद रोजगार कार्यक्रम है। मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना तथा स्थानीय परिसम्पत्यिां का सृजन करना है। ग्राम सभा स्तर पर परिसम्पत्तियां भूमि संरक्षण, पौधों रोपण, सड़क निर्माण, जल संरक्षण, साफ–सफाई व अन्य विकास कार्यो का सृजन करना है।

जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण – जनपद भरतपुर की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत कृषि है। जनपद में 2011 की जनगणना के अनुसार 10.71 लाख कर्मकार है। जो कि जनपद की कुल जनसंख्या का 42.03 प्रतिशत है।

तालिका 1रू भरतपुर जिले में मुख्य कार्यकार

क्र.सं.	मद	कार्यरत व्यक्ति	कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत
01	कृषक	350451	32.71
02	कृषि मजदूर	89379	8.35
03	पारिवारिक उद्योग	14399	1.35
04	अन्य कार्य करने वाले	240700	22.47
05	सीमान्त कर्मकार	376225	35.12
कुल कार्यशक्ति का योग		1071154	10000

स्रोतः सांख्यिकीय रूपरेखा 2015 पृ0 25, 29

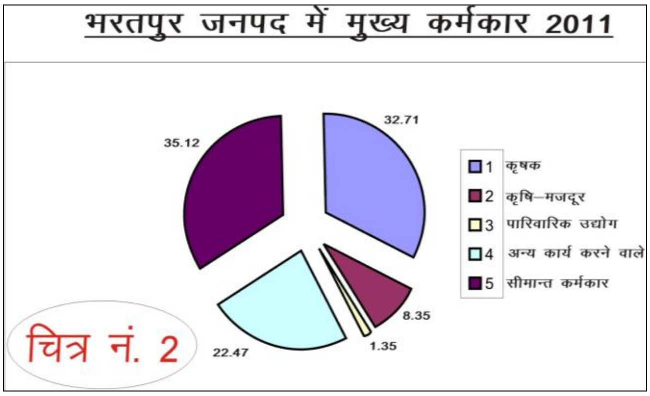

चित्र नं. 2

उपर्युक्त तालिका सं.1 से स्पष्ट होता है कि जनपद को कुल कर्मकारों में कृषकों का प्रतिशत 32.71 है। कृषि श्रमिक 8.25 प्रतिशत परिवारिक उद्योगों में कार्यकरने वाले 1.35 प्रतिशत और अन्य कर्मकार 22.47 प्रतिशत है जबकि 35.12 प्रतिशत सीमान्त कार्यकारी है।

मनरेगा में रोजगार प्राप्ति की स्थितिः ऐतिहासिक दृष्टि से भरतपुर जिले का अतीत अनगिनत संघर्षो तथा साहस और पराक्रम की गाथाओं से परिपूर्ण रहा है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। भरतपुर जिले की भौगोलिक स्थिति ठीक ठाक है। फिर भी जिला औद्योगिक एवं व्यावसायिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। कई कारणों के साथ इस पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी है। जिससे बेरोजगारी को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार की मनरेगा योजना बड़े स्तर पर चलाई जा रही है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है। यह योजना भरतपुर जिले के सभी तहसील स्तर व विकासखण्ड स्तर पर संचालित की जा रही हे। जिससे ग्रामीण लोगों को रोजगार मिला है जो निम्नलिखित है–

तालिका 2: भरतपुर जिले में मनरेगा से प्राप्त रोजगार (2015–16)

क्र.सं.	ब्लॉक	रोजगार की माँग करने वाले व्यक्ति	रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्ति	रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत
01	पहाड़ी	8059	7273	90.47
02	कुम्हेर	14903	13348	89.56
03	कामा	12101	11396	94.17
04	डीग	12266	10433	85.06
05	नगर	13772	12560	91.20
06	नदबई	11849	9329	78.73
07	बयाना	13841	12365	89.34
08	रूपवास	13157	11791	89.62
09	बैर	18641	17115	91.81
10	सेवर	10478	8810	84.08
योग		129047	114420	88.66

स्रोतः narega.raj.nic.in

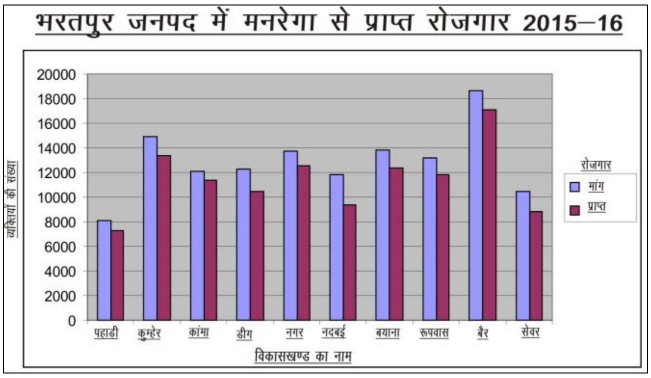

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि भरतपुर जिले में मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2015–16 में 129047 व्यक्तियों ने रोजगार की मांग की थी, जिनमें से 114420 व्यक्तियों को रोजगार मिला है जो कि कुल रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का 88.66 प्रतिशत है। जिले में सबसे अधिक रोजगार मांग करने वाले (18641 व्यक्ति) व रोजगार प्राप्त (17115 व्यक्ति) करने वाले बैर ब्लॉक के है। जिलों में सबसे अधिक रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत (94. 17) कांमा ब्लॉक का है। जबकि सबसे कम प्रतिशत (78.73) नदबई ब्लॉक का है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भरतपुर जिले में मनरेगा से सभी ब्लॉकों में व्यक्तियों के समान रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है।

मनरेगा पर व्यय हुई धनराशिः मनरेगा योजना भरतपुर जिले के कुल 1579 ग्रामों में संचालित की जा रही है। इस योजना पर वर्ष 2015–16 में 7607.59 लाख रूपये स्वीकृत किये गये। जिनमें से 7477.65 लाख रूपये इस योजना पर व्यय किये गये जो कि कुल स्वीकृत धनराशि का 98.29 प्रतिशत है। जिले के समस्त ब्लॉकों में आवंटित व प्रयोग की गई धनराशि का विवरण निम्नलिखित है–

तालिका 3: भरतपुर जिले में ब्लॉकवार मनरेगा योजना की वित्तीय प्रगति (2015–16)

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	स्वीकृत की गई धनराशि (लाख रू. में)	प्रयोग की गई धनराशि (लाख रू. में)	प्रयोग की गई धनराशि का प्रतिशत
1	पहाड़ी	559.45	602.33	107.65
2	कुम्हेर	965.56	960.72	99.50
3	कामां	1197.93	1112.63	92.88
4	डीग	660.13	634.89	96.18
5	नगर	901.34	886.61	98.37
6	नदबई	377.92	365.02	96.58
7	बयाना	788.64	778.38	98.70
8	रूपवास	756.10	751.42	99.38
9	बैर	831.08	827.22	99.53
10	सेवर	569.44	558.43	98.07
योग		7607.59	7477.65	98.29

स्रोतः narega.raj.nic.in

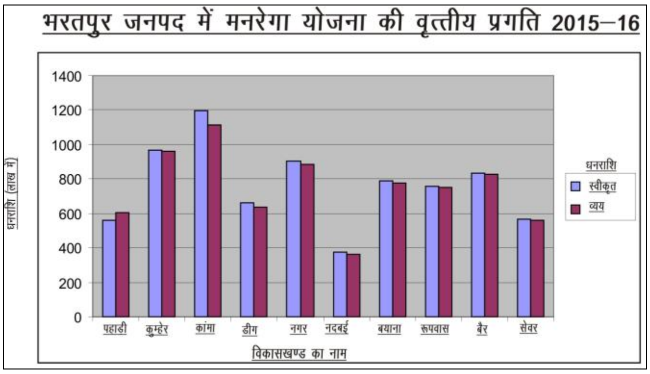

उपर्युक्त तालिका सं. 03 से स्पष्ट होता है कि जिलों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शासन से सबसे अधिक धनराशि 1197.93 लाख रूपये स्वीकृत की गयी व उपयोग भी 1112.63 लाख रूपये सबसे अधिक की गयी। जबकि सबसे ज्यादा धनराशि नदबई ब्लॉक के लिए 377.92 लाख रूपये स्वीकृत किये गए। जिनमें से 365.02 लाख रूपये उपयोग किये गये।
जनपद में आवंटित राशि से अधिक उपयोग पहाड़ी ब्लॉक में किया गया है। आवंटित राशि 559.45 लाख रूपये की गयी जबकि उपयोग 602.45 लाख रूपये की गयी जबकि उपयोग 602.33 लाख रूपये किये गये। आवंटित राशि का 107.65 प्रतिशत है। धनराशि प्रयोग के आधार पर यह कहाँ जा सकता है कि भरतपुर जिले के सभी 10 ब्लॉकों में प्राप्त धनराशि का कुशलतम प्रयोग किया जा रहा है।

मनरेगा में कार्यरत मजदूरों का शैक्षिक स्तरः शिक्षा के माध्यम से सामाजिक व आर्थिक प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। भरतपुर जिले की साक्षरता स्तर 70.11 (2011) प्रतिशत है। वर्तमान में मनरेगा में कार्यरत मजदूरों की साक्षरता दर तालिका सं. 04 में दिया गया है। इसमें 18.70 प्रतिशत पुरूष व 35.27 प्रतिशत महिलाएं है जो अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकती हैं।

तालिका 4: भरतपुर जिले में मनरेगा में कार्यरत मजदूरों का शैक्षिक स्तर (प्रतिशत में)

क्र.स.	शैक्षिक स्तर	पुरूष (प्रतिशत)	महिला (प्रतिशत)
1	अशिक्षित	18.27	35.27
2	साक्षर	15.90	25.33
3	प्राथमिक स्तर	24.05	18.80
4	जूनियर स्तर	16.05	8.67
5	10वीं पास	14.00	6.04
6	12वीं पास	8.20	4.88
7	स्नातक	3.10	1.61
8	परास्नातक	–	–
योग		100.00	100.00

स्रोतः ग्रामीण मनरेगा सर्वेक्षण भरतपुर 2016

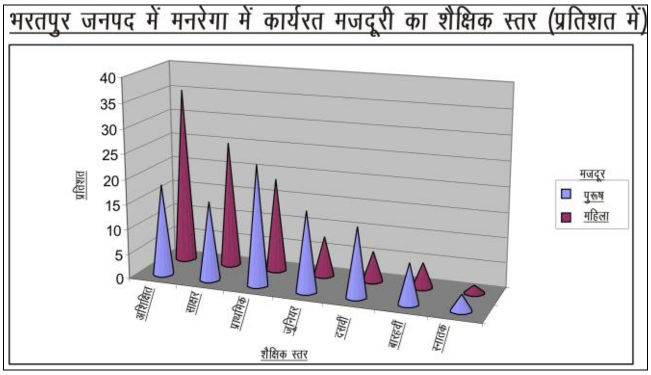

उपर्युक्त तालिका 60–04 से स्पष्ट होता है कि 15.90 प्रतिशत पुरूष व 25.33 प्रतिशत महिलायें है, जो पढ़ लिख व हस्ताक्षर कर सकती है। मनरेगा में सबसे अधिक 24.05 प्रतिशत पुरूषों का शिक्षा स्तर प्राथिमिक स्तर की है, जो इस योजना में कार्यरत है, जबकि 25.33 प्रतिशत महिलाओं का शैक्षिक स्तर केवल साक्षर है जो पढ़ का लिख सकती है। सबसे कम प्रतिशत मजदूरों की संख्या स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त पुरूष (3.10 प्रतिशत) व महिलाओं (1.61 प्रतिशत) का प्रतिशत हैं।

मनरेगा योजना में मजदूरों की आयु संरचनाः भरतपुर जिले में मनरेगा में कार्यरत मजदूरों की आयु संरचना का विवरण तालिका सं. 05 में दिया गया है। ग्राम सभा के मजदूरों की आयु 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग में 7.10 प्रतिशत पुरूष व 6.20 प्रतिशत महिलायें आती हे। 25 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में सर्वाधिक 57.30 प्रतिशत पुरूष व 50.40 प्रतिशत महिलायें 35 से 45 वर्ष के आयु वर्ग में 25.40 प्रतिशत पुरूष व 30.30 प्रतिशत महिलाएं है। 45 से 55 वर्ष में आयु वर्ग में 10.20 प्रतिशत पुरूष व 13.10 प्रतिशत महिलाओं का है।

तालिका 5: भरतपुर जिले में मनरेगा योजना में कार्यरत मजदूरों की आयु संरचना (प्रतिशत में)

क्र.सं.	आयु वर्ग	पुरूष (प्रतिशत)	महिला (प्रतिशत)
1	25 वर्ष से कम	7.10	6.20
2	25 से 35 वर्ष तक	57.30	50.40
3	35 से 45 वर्ष तक	25.40	30.30
4	45 से 55 वर्ष तक	10.20	13.10
योग		100.00	100.00

स्रोतः ग्रामीण मनरेगा सर्वेक्षण भरतपुर 2016

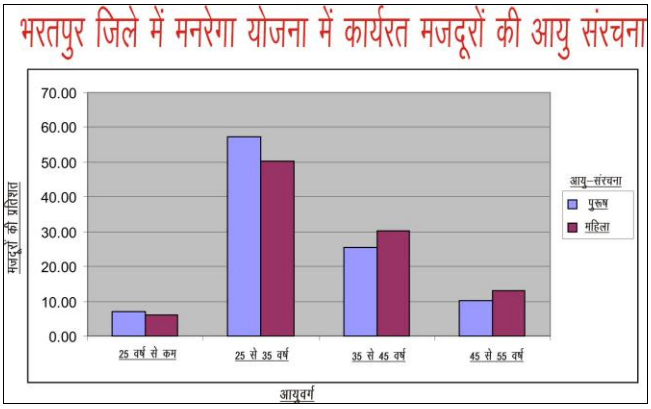

उपर्युक्त तालिका से प्रकट होता है कि मनरेगा में कार्यरत नवयुवकों की संख्या वयस्कों व बृद्धों की तुलना में बहुत ही कम है। जबकि सबसे अधिक संख्या वयस्कों की हे जो इस योजना में कार्य कर रहे हैं।

भरतपुर जिले के ग्रामीण विकास में मनरेगा का योगदानः इस योजना से ग्रामीण जनता का रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कम हुआ है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जिन दैनिक मजदूरों को कार्य नहीं मिल रहा था। आज उन मजदूरों को भी दैनिक मजदूरी ग्रामीण क्षेत्रों में ही मिल रही है। भूमि संरक्षण, वृक्षारोपण, सड़क निर्माण, जल संरक्षण। साफ–सफाई आदि से गांवों का सर्वागीण विकास हो रहा है। योजना के अन्तर्गत प्राप्त रोजगार से ग्रामीण व्यक्तियों के जन जीवन पर उत्तम प्रभाव पड़ा है।

मनरेगा योजना में कार्यान्वयन की प्रमुख समस्याऐः सर्वविदित है कि भारतीय ग्राम एकता, सादगी और सरलता के प्रतिरूप नहीं हे। जिसके बल पर महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की रूपरेखा मस्तिष्क में संजोये हुए थे। ग्राम सभायें अब राजनीतिक के अडड़े बन चुकी है। जिससे विकास कार्य निश्चित रूप से बाधित होते है। जैसे भूमि अधिग्रहण प्रति द्वन्दियों द्वारा उत्पन्न व्यवधान, भाई–भतीजा बाद वर्ग बाद जातिवाद, ग्राम राजनीति। भ्रष्टाचार, नियोजन प्रक्रिया से अनभिज्ञता, मनरेगा योजना की पूर्ण जानकारी का न होना, अशिक्षा, दैनिक मजदूरी दर (142 रू0 प्रतिदिन) का कम देना मजदूरी समय पर न मिला, उच्च जातियों का प्रभुत्व, लेखा विधि से अनिभिज्ञता, प्राशासनिक अधिकारों का अभाव आदि समस्याएं सामने आयी हैं।

कमियाँ

मनरेगा के क्रियान्वयन में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी हैं–

1. जिस प्रकार पहले के अकाल राहत कार्यो में झूठे मस्टर रोल की समस्या पायी जाती थी उसी प्रकार के मामले कुछ स्थानों पर आज भी देखने को मिलते हैं। प्रायः इस प्रकार के समाचार सुनने में मिलते हैं कि अमुख स्थान पर समय पर मजदूरी का वितरण नहीं किया गया। मस्टर रोल सही नहीं पाये गये। ग्राम अधिकारियों कर्मचारियों एवं अकुशल श्रमिकों की सांठ गांठ से बिना कम किए मजदूरी का भुगतान कर दिया गया इत्यादि। यह एक नैतिक प्रश्न है जो समाज में विषबेल की तरह भ्रष्ट आचरण के रूप में फैला हुआ है। इसने अब आम समस्या का रूप धारण कर लिया है।
2. महिलाओं के लिए काम के स्थान पर बच्चों की देखभाल, जल, विश्राम, आवश्यक दवा आदि की व्यवस्था का अभाव पाया गया है। इस सुविधाओं के लिए उचित मानदण्ड तो निर्धारित होते हैं, लेकिन व्यवहार में ये देखने को कम मिलते हैं। प्रायः श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों से वंचित रखा जाता है। इस प्रकार मनरेगा से उत्पन्न विकसित ग्रामीण भारत की नई आशाओं पर पानी फिर जाता है।
3. मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रमों का चुनाव, कार्यस्थल के प्रबंधन, भुगतान की प्रक्रियाओं एवं रिकार्ड रखने आदि के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का व्यवहार में पूरी तरह परिपालन नहीं किया जाता है। इसके सम्बन्ध में अनियमितताएं दिखाई देती हैं।
4. केन्द्रीय रोजगार गांरटी परिषद् राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा की स्वतंत्र जांच रिपोर्ट तैयार नहीं करती है। ये निगरानी संस्थाएं पूरी तरह से सक्रिय एवं सचेष्ट नहीं पाई गयी हैं।
5. यद्यपि ठेकेदारों की सेवाओं का उपभोग मनरेगा में निषिद्ध किया गया है, लेकिन व्यवहार में ये कई कार्यस्थलों में शामिल पाए गए हैं। इस प्रकार भ्रष्टाचार, अपराध एवं अनेक प्रकार की अनियमितताओं के कारण मनरेगा का सफल क्रियान्वयन बाधित होता रहता है। इसी प्रकार मशीनरी का प्रयोग वर्जित होने पर भी इसका अधिकांश स्थानों पर प्रयोग देखा गया है।

निष्कर्षः भरतपुर जिले के ग्रामीण विकास में आज केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई मनरेगा योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। संकलित विश्लेषण से यह पाया गया कि जिले में वर्ष 2015–16 में 7537.27 लाख रूपये व्यय किये गये। 129047 परिवारों ने रोजगार की मांग की जिनमें से 114420 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। जिनमें कुल उत्पन्न 4484144 व्यक्ति दिवस रोजगार उपलब्ध कराया गया। जिनमें से अनुसूचित जाति को 77746 एवं अनु0 जनजाति 7881 व्यक्ति दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त उपलब्धियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भरतपुर जिले में मनरेगा योजना का क्रियान्वयन भली–भाँति हुआ है इसके साथ ही रोजगारों में वृद्धि हुई है।

अन्त में निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई यह एक अत्यन्त सुदृढ़ एंव प्रभावकारी योजना है।

सन्दर्भ सूची

1. Singh Kartar (1986): Rural development, sage publication new delhi Page-17.
2. एस.सी. शर्मा (1986) गोंडा जनपद में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक मूल्यांकन उ.पमा. भू. पत्रिका अंक 25 पृ.सं. 01।
3. Verma, D.C.- Wilfare programme in Mathura district A Study in population geography unpulished thisis for Ph.d of agra university 1983.
4. Singh Dr. S.P. : Integrates spacial rural development in Mant Tehsil dist mathura up unpublished thesis for Phd Agra University Agra 1985.
5. अर्थ सांख्यिकीय पत्रिका जनपद भरतपुर
6. योजना पत्रिका अक्टूबर 2013
7. कुरूक्षेत्र पत्रिका 2013